

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण:-

(i) अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण:-

रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 132 के.व्ही. पारेषण लाईन का निर्माण 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही. डी.सी. डी.एस. लाईन उपकेन्द्र विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत कुल 9.589 हे. (कुल लंबाई 3.551 कि.मी.) की आवश्यकता है।

आवेदित क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है:-

—:आवेदित राजस्व वनभूमि की जानकारी:-

क्रं.	टावर आईडी	पैच नं.	जिला	तहसील	गांव	खसरा नं.	रकबा (हे. मे.)
1	AP3-AP5	1	रायगढ़	पुसौर	बासनपाली	1	0.282
2		2			रैतराई	39	0.335
3	AP10-AP11	3			बुलाकी	389	0.065
4	AP11-AP12	4			कावरहिहा	151	0.513
5	AP14-AP15	5				460	0.032
6		6			लिंजिर	187	0.119
7	AP23-AP24	7			लोहरसिंघ	1011	0.022
8		8				1081	0.022
9	AP28-AP29	9			झारमुड़ा	568	0.059
10	AP29-AP30	10			औरदा	444	0.070
11		11			महुआपाली	18	0.254
12	AP37-AP38	12			डुमरमुड़ा	157/1	0.335
13		13			दर्मामुड़ा	290/2	0.029
14		14				290/1	0.014
15		15				285/1	0.010
16		16				286/1	0.058
17		17				375/10	0.656
18		18				373/1	0.087
19	AP38-AP39	19				378H	0.174
20	AP40-AP41	20			गुड़गहन	109	0.151
21	AP41-AP42	21			नवापाली	34	0.108
22	AP41-AP43	22				32/1	0.508
23	AP45-AP48	23	रायगढ़	पुसौर	जुर्डा	31/1	0.626
24		24				31/2	0.232
25		25				31/29	0.086
26	AP47-AP49	26				20	1.193
27	AP49-AP50	27			पण्डरीपानी	181	0.206
28	AP50-AP53	28			जुर्डा	17/1	1.152
					कुल रकबा:-		7.399

-:आवेदित आरक्षित वनभूमि की जानकारी:-							
क्रं.	टावर आईडी	पैच नं.	जिला	तहसील	वनभूमि	कम्पार्टमेंट नंबर	रकबा (हे. मे.)
1	AP42-AP46	29	रायगढ़	रायगढ़	आरक्षित वनभूमि	1010 RF	2.190
					कुल रकबा:-		2.190

-:कुल आवेदित वनभूमि की जानकारी:-		
क्रं.	कुल आवेदित राजस्व वनभूमि रकबा (हे.मे.)	7.399
	कुल आवेदित आरक्षित वनभूमि रकबा (हे.मे.)	2.190
	कुल आवेदित वनभूमि रकबा (हे.मे.)	9.589

132 के.व्ही. पारेषण लाईन का निर्माण 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन उपकेन्द्र विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की पर्यावरण दुष्प्रभाव नहीं है। इस परियोजना से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

(ii) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

संलग्न है।

(iii) परियोजना की लागत।

28.590 करोड़

(iv) वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर, द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित 132 के.व्ही. पारेषण लाईन का निर्माण 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन उपकेन्द्र विद्युत पारेषण लाईन राजकीय राजमार्ग के दोनों किनारों से प्रस्तावित है इस निर्माण कार्य में कम से कम प्रभावित वनभूमि वाले पथ को भौगोलिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार चयनित किया गया है जो कि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।

(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

लागू नहीं है।

(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

इस परियोजना के दौरान लगभग 4000 कार्य दिवस अस्थायी रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। क्षेत्र खनिज सम्पदा से भी समृद्ध है जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी एवं इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।

(2) कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

132/33 के.व्ही. ट्रांशमिशन लाईन (TSS) जुरदा में फीडिंग पोस्ट ओर स्विच गियर्स प्रस्तावित है। वर्ष 2016 में टेक्शन उपकेन्द्र के लिए भूमि का अधिग्रहण ग्राम जुर्दा में किया गया है। निर्माण एवं अन्य गतिविधियों को 132/33 के.व्ही. (TSS) के लिए भी NTPC द्वारा निर्माण शुरू किया गया है। टेक्शन उपकेन्द्र जुर्दा को बिजली पहुंचाने के लिए 132 के.व्ही. अति उच्च दाब सप्लाय नेटवर्क की स्थापना/निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए जिला रायगढ़ एकमात्र सामाधान है। तदनुसार नई " 132 के.व्ही. ट्रांशमिशन लाईन का निर्माण 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्दा तक 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन प्रस्तावित है।

(3) परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

-----शून्य-----

(I) परिवारों की संख्या।

-----शून्य-----

(II) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

-----शून्य-----

(III) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

-----शून्य-----

(4) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)

-----नहीं है।-----

(5) प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जायें)

-----संलग्न है-----

(6) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

1. संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का नवीन चेक लिस्ट के अनुसार

2. कंडिका 5 का वचन पत्र।

3. कंडिका 1 (V) अंतर्गत लाभ विश्लेषण।

4. डिमांड ड्राफ्ट राशि रु. 18000 पंजीयन शुल्क

5. डिमांड ड्राफ्ट राशि रु. 6000.00 प्रसंस्करण शुल्क

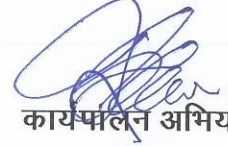
तिथी:—

स्थान:—


हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम साफ अक्षरों में)
Executive Engineer
EHT (C) Dn. CSPTCL
Bilaspur
पता (प्रयोक्ता एजेंसी)

वचन-पत्र

प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोडातराई से प्रस्तावित NTPC ग्राम जुर्डा तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन उपकेन्द्र विद्युत पारेषण लाईन निर्माण कार्य के प्रभावी वन क्षेत्र परिक्षेप्य में प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में वनीकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित वचनबद्ध है।



कायपालन अभियंता

अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग

छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. बिलासपुर